Regarding computerised land holding records in urban areas-laid

श्री घनश्याम सिंह लोधी **(**रामपुर**) :** शहरी क्षेत्र में नॉन जेड ए की जमीनों की कम्प्यूटराइज्ड खतौनी नहीं हो पा रही है। जबकि नॉन जेड ए के जमीन की कम्प्यूटराइज्ड खतौनी जारी होने में किसी प्रकार का विधिक अवरोध नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि शहरी क्षेत्रों में अभी जमींदारी प्रथा टूटी नहीं है। नॉन जेड ए की जमीन पर मिलीभगत करके अवैध तरीके से भूमाफिया फायदा उठाते हैं। शहरों की जमीनों पर जींदारी विवाह एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 लागू नहीं होने से जमीनों का ब्यौरा कम्प्यूटर में दर्ज नहीं किया जा सका है। ऐसी जमीनों का रकबा शहर में होता है। ब्यौरा न होने के कारण जमीनों का दाखिल खारिज कराने में काफी मुश्किलें आती है। शहर के कई मुहल्ले व स्थान में लोग वर्षों से मकान बनाकर रह रहे हैं। लेकिन तहसील के राजस्व अभिलेखों में उनके नाम दर्ज नहीं है। इससे तहसील के अधिकारी परेशान करते हैं। इस कारण जमीन विवाद के मामले अधिक आते है। इसके साथ ही ऐसी जमीनों पर भूमाफियों की नजर रहती है। नॉन जेड के जमीनों पर कम्प्यूटराइज्ड खतौनी जारी करता है तो जमीन का सत्यापन कर ब्यौरा फीड होगा और इससे शहरों में कई हजार लोगों को फायदा मिलेगा।